उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः 164 /XVII-3/18-06(बजट)/2012
देहरादूनः दिनाँकः 09 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल "मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना नियमावली, 2013" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त योजनान्तर्गत विदेश शिक्षा हेतु प्राप्त होने वाले ऋण आवेदन मूल नियमावली में प्राविधानित ₹ 5.00 लाख की ऋण सीमा से अधिक होने के कारण ऋण स्वीकृत करने एवं विदेशों में संचालित विश्वविद्यालय/कॉलेज व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सत्यापन में हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु मूल नियमावली को निम्नवत् संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात –

	स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नियम
नियम-2 (योजना का उद्देश्य तथा प्रयोजन) का संशोधन	**2-योजना का उद्देश्य तथा प्रयोजन** अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा तथा विदेश शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।	**2-योजना का उद्देश्य तथा प्रयोजन** अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को स्वदेश में उच्च शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।
नियम-3(6) का संशोधन	3(6) योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण यदि पाठ्यक्रम/डिग्री एक वर्ष का हो या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का हो, तब ऐसे पाठ्यक्रम/अध्ययन पर होने वाले सम्भावित व्यय के सापेक्ष एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण किया जाएगा परन्तु यदि पाठ्यक्रम/डिग्री/अध्ययन में शुल्क इत्यादि पूर्व में ही जमा करने की अपरिहार्यता न हो, तब ऐसी ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि दो किश्तों में स्वीकृत की जाएगी, प्रथम पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में तथा द्वितीय पाठ्यक्रम की मध्यावधि में।	3(6) स्वदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु यदि योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण पाठ्यक्रम/डिग्री एक वर्ष का हो, तब ऐसे पाठ्यक्रम/अध्ययन पर होने वाले सम्भावित व्यय के सापेक्ष एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण किया जाएगा परन्तु यदि पाठ्यक्रम/डिग्री/अध्ययन में शुल्क इत्यादि पूर्व में ही जमा करने की अपरिहार्यता न हो, तब ऐसी ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि दो किश्तों में स्वीकृत की जाएगी, प्रथम पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में तथा द्वितीय पाठ्यक्रम की मध्यावधि में।

Acctt
S.C.T.
2115
806
13/03/18

आज्ञा से,

(कै. आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 164 /XVII–3/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(जी०एस० भाकुनी)
उप सचिव।